

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को समर्थन किया जाने कि नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जजों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों की रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत कालावधि के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआईसीसीआई/सीसीआई से आगामी मात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किशोरा इन फार्मरी कार्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान दायर किया जाता है तथा दायर नुकसान संस्था में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किशोरा इन फार्मरी कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपारम्भ कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आशय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पूर्ववृत्ति, स्टाफ-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अपिलेट, भूमि-मजदूरी, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के सञ्चालन में प्रयोग किया जाय है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्द हो अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०पी० सिंह)
सचिव

2020- प्रासिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रशासक/निदेशक, सेंट जेम्स काथोलिक मुद्रादाता नर्सिंग पारामेट्रिक, पाटियाबाद।

(डा० आर०पी० सिंह)
सचिव

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबले गये विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनानुसारों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये विद्यार्थी, विनिर्देशी, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ विद्यार्थी इन परीक्षा परीक्षाक्रम की संरचना यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त आरक्षित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध लागू किया जाता है तथा राज्य सरकार के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन परीक्षा परीक्षाक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधोक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीटें प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्तर, लाल-सफ़ेद, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाएं उपलब्ध कराने के साथ रेगिमेंट रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रस्तावित संचालित परीक्षाक्रम को धारते जाने हेतु निरीक्षण समिती के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सूचना, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षाक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, भवन, धरोहरालय, उपकरण एवं अन्य लाल-सफ़ेद पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद के समक्ष उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं कर अनुपालन न किये जाने अपना नहीं कर उत्सर्जन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव।

तारीख/17-9-2021

प्रतिपत्र/परिषद सम्बद्धता/2021/ 5693

प्राविधिक-उच्च/आचार्य/निदेशक, सेंट जेवर्सला मुकुन्द लाल शिला चार्टर्डिंग, एच/एच/एच।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव।

कार्यालय

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तारखण्ड: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय प्रेष:

अद्वितीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यकारी कार्यालय प्राथमिक शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सं. 2022-23 हेतु दिनांक 30/08/2022 को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर प्रवेश क्षमता बढ़ि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सं. 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सं. 2022-23 हेतु निराकरण करने के अतिरिक्त प्रवेश क्षमता एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1124-SETH JAIPRAKASH MUKUNDLAL MAHILA POLYTECHNIC		
क्र.सं.	घाटवृत्त का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०टी०आई० द्वारा सं. 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	60
		60

सम्बद्धता हेतु सार्व

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०टी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी सार्व का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद सं. 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद दिनांक/सं. 1992, दिनांक/सं. 2000, सेक्टर दिनांक/सं. 2016 तथा संघ-संघ पर निर्भर शाखा/सेक्टरों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त तीन वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी हेतु सं. 2015/0.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम हेतु सं. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त हेतु सं. 22500.00/- प्रतिवर्ष मुक्त ही प्रवेश प्राप्त करने से प्रारंभ किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शाखा/सेक्टरों से मुक्त के अन्वय में समाप्त-समाप्त पर संस्था द्वारा निर्मित किये जाने वाले शाखा/सेक्टर प्रकृति होगी, और उपर्युक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सं. 2022-23 हेतु प्रवेश का पूर्णतः पालन किया जाता है, तो प्रवेश की क्षमताएं बढ़े लागू होंगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को संघ-संघ पर निर्भर शाखा/सेक्टर के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता मुक्त प्राप्त करनी होगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित दिनांक/सं. अतिरिक्त शाखा/सेक्टरों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं. 2022-23 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं. 2022-23 हेतु निर्णयों, निर्देशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही करेगी।
- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०टी०आई० में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का लेना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संघ-संघ द्वारा निर्धारित प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विषय पर कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु अतिरिक्त कार्यालयित प्रवेश होने

के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करायें गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Khan

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SETH JAIPRAKASH MUKUNDLAL MAHILA POLYTECHNIC

Khan

(एफ0आर0 खान)

सचिव